क्रमांक 12/15/92-2 जी.एस. I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गांव, एवं रोहतक मण्डल ।

(2) सभी आयुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) ।

(3) रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय,
चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 21-5-1992.

विषय :-लिपिकों/टाईपिस्टों के पदों को भरना

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 12/26 जी.एस. I, दिनांक 2.4.91 की ओर दिलाऊं जिस द्वारा अनुग्रह पूर्वक अनुदान स्कीम के अन्तर्गत लिपिकों के पदों नियुक्त की गई उन विधवाओं जिनकी आयु नियुक्ति के समय 45 वर्ष या इससे अधिक हों, को निर्धारित ट टैस्ट पास करने की शर्त से छूट प्रदान की गई थी ।

2. मामले पर आगे विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अनुग्रह पूर्वक अनुदान स्कीम के अन नियुक्त की गई उन विधवाओं, जिनकी आयु 45 वर्ष से कम है, को निर्धारित टाईप टैस्ट पास करने हेतु तीन वर्ष समय प्रदान किया जाये । यदि वे सेवा में नियुक्ति करने के तीन वर्ष के अन्दर-2 टाईप टैस्ट पास नहीं करती तो कर्मचारियों की भान्ति उनकी वेतन वृद्धियां रोक दी जायें और रोकी गई वेतन वृद्धियां तब छोड़ी जायें जब वे भाषाओं में निर्धारित टाईप टैस्ट पास कर लें, परन्तु उन्हें टाईप टैस्ट पास करने की तिथि तक वेतन वृद्धियों का बक न दिया जाये । कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना के लिये अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों के ध्यान ला दें ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

अधीक्षक सामान्य सेवायें-I,

कृते । मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।